न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारीः अरविन्द शर्मा, आर.ए.एस.

रेफरेन्स प्रकरण संख्या : 17/2019

1.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लवाण

प्रार्थी

बनाम

1. भौरीलाल पुत्र सांवता
2. दयाराम पुत्र हरचन्दा
3. महादेव पुत्र हरचन्दा
4. नहनु पुत्र हरचन्दा
5. नहना देवी पत्नि भागीरथा
6. रामलाल पुत्र भागीरथा
7. रूपनारायण पुत्र भागीरथा
8. पूनीराम पुत्र भागीरथा

समस्त जाति मीना निवासी खानवास तहसील लवाण जिला दौसा।

9. बैंक ऑफ बडौदा शाखा तूंगा हि0 दयाराम
10. बैंक ऑफ इण्डिया शाखा तूंगा हि0 महादेव
11. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा लवाण हि0 नहनूराम, नहना देवी, पूनीराम, रूपनारायण, रामलाल।

अप्रार्थीगण

<u>रेफरेन्स अर्न्तगत धारा 82 राज0 भू-राजस्व अधिनियम 1956 सहपठित धारा 232 आरटीए</u>

उपस्थिति : राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।
: अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 व 11 अनुपस्थित।
: श्री कुंजबिहारी शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 10 उपस्थित।

दिनांकः 23.02.2026

<u>:-निर्णयः-</u>

संक्षिप्त मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार(भूमिधारी) तहसील लवाण ने प्रतिनिधि राजस्थान सरकार की हैसियत से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 की अनुपालना में यह रेफरेन्स इस न्यायालय में पेश किया है।

रेफरेन्स प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 9 व 11 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आये। अप्रार्थी संख्या 10 की ओर से अधिवक्ता श्री कुंजबिहारी शर्मा उपस्थित आये। राजकीय अधिवक्ता एवं अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 10 की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र रेफरेन्स के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम खानवास स्थित भूमि खसरा नम्बर 671 रकबा 27 बीघा 8 बिस्वा किस्म गै. मु. नदी राजस्व रिकॉर्ड सम्वत 2010-22 में गैर मु. नदी दर्ज रिकॉर्ड थी। भूमि एकीकरण सम्वत 2018 में उक्त भूमि से खसरा नम्बर 301 रकबा 17 बीघा 8 बिस्वा किस्म ढहरी-2 बने। भू-प्रबन्ध अभिलेख सम्वत 2041-60 में खसरा नम्बर 301 रकबा 17 बीघा 8 बिस्वा में से खसरा नम्बर 859/890 रकबा 0.55 है. बने है। उपखण्ड अधिकारी दौसा के आदेश दिनांक 14.11.1970 के अनुसार खसरा नम्बर 301 रकबा 17 बीघा 8 बिस्वा किस्म ढहरी-2 में से 2 बीघा 3 बिस्वा भूमि का आवंटन अप्रार्थीगण के

अति. जिला कलक्टर
दौसा

Scanned with OKEN Scanner

पूर्वज गोरधन पुत्र भैरू जाति मीना निवासी खानवास के नाम किया गया। जिसके पश्चात् नामान्तरकरण संख्या 39 दिनांक 15.02.1973 के द्वारा खसरा नम्बर 301/309 रकबा 0.13 बीघा 301/310 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि गोरधन पुत्र भैरू जाति मीना निवासी खानवास के नाम गैर खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड हुई। जमाबन्दी सम्वत 2060-63 ग्राम खानवास के खाता संख्या 21 में उल्लेखित भूमि खसरा नम्बर 859/890 रकबा 0.55 है. किस्म ढहरी में उक्त भूमि जरिये विरासत गोरधन पुत्र भैरू जाति मीना निवासी खानवास के स्थान पर भौरीलाल पुत्र सांवता, दयाराम, महादेव, भागीरथ, नहनु पिता हरचन्दा जाति मीना सा. खानवास हि0ब0 जरिये विरासत नामा. संख्या 171 दिनांक 31.08.2004 द्वारा दर्ज रिकॉर्ड हुई। जिसमे भागीरथ पुत्र चन्दा हिस्सा 1/5 के फौत होने पर जरिये नामान्तरकरण संख्या 238 दिनांक 5.9.2008 के नहना देवी पत्नि स्व. भागीरथा, रामलाल, रूपनारायण, पूनीराम पि. भागीरथा के नाम स्वीकार होकर जमाबन्दी खाता संख्या 78 सम्वत 2071 पर दर्ज रिकॉर्ड हुई। राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत 2076-2079 में खाता संख्या 90 ग्राम खानवास जरिये नामान्तरकरण संख्या 529 दिनांक 24.07.2018 के अनुसार खसरा नम्बर 859/890 रकबा 0.55 है. में दर्ज खातेदार महादेव पुत्र हरचन्दा का हिस्सा 1/5 एवं दयाराम पुत्र हरचन्दा हिस्सा 1/5 नामान्तरकरण संख्या 489 दिनांक 13.07.2017 द्वारा राहिन बैंक ऑफ बडौदा शाखा तूंगा मूर्तहीन व भागीरथा के वारिस नहना देवी धर्मपत्नि स्व. भागीरथा, रामलाल, रूपनारायण, पूनीराम पि. भागीरथा का हिस्सा 1/5 जरिये नामान्तरकरण संख्या 524 दिनांक 08.06.2018 राहिन स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा लवाण मूर्तहीन कौम मीना सा0 खानवास के नाम खातेदारी दर्ज है। राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 16 के तहत गैर मु. नदी, तालाब, नाले की भूमि पर खातेदार अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है। अतः आवंटन आदेश दिनांक 14.11.1970 एवं नामान्तरकरण संख्या 39 एवं गैर खातेदारी से खातेदारी विरासत 171, 238 एवं 529, 489, 524 रहननामा कानून की निगाह में अवैध प्रभावशून्य एवं कानून के विपरीत है। अतः अप्रार्थीगण के पक्ष में किया गया आवंटन दिनांक 14.11.1970 एवं नामान्तरकरण संख्या 39 एवं गैर खातेदारी से खातेदारी विरासत 171, 238 एवं 529, 489, 524 रहननामा को निरस्त किया जाना उचित है। अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज उक्त भूमि पूर्व में गैर मुमकिन नदी दर्ज रिकार्ड रही है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी. बी. सिविल जनहित याचिका सं.1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 से राज्य सरकार को ऐसे प्रकरणों को निरस्त कर ऐसी जलोद गैर मुमकिन भूमियों को पुनः पूर्वानुसार दर्ज करने के निर्देश प्रदान किये है। अतः तहसीलदार लवाण द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रकरण स्वीकार फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 10 द्वारा निवेदन किया गया कि रेफरेन्स में प्रश्नगत भूमि की जमाबंदी संवत् 2076-2079 ग्राम खानवास तहसील लवाण जिला दौसा में आराजी खसरा नं. 859/890 रकबा 0.55 हैक्टेयर में से महादेव पुत्र हरचन्दा हिस्सा 1/5 जाति मीना सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/5 (पूर्ण खाता बैंक ऑफ इण्डिया शाखा तूंगा मूर्तहिन) दर्ज रिकॉर्ड है।

राजकीय अधिवक्ता एवं अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 10 की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि ग्राम खानवास तहसील लवाण स्थित भूमि खसरा नम्बर 671 रकबा 27 बीघा 8 बिस्वा किस्म गै. मु. नदी राजस्व रिकॉर्ड सम्वत 2010-22 में गैर मु. नदी दर्ज रिकॉर्ड थी। भूमि एकीकरण सम्वत 2018 में उक्त भूमि से खसरा नम्बर 301 रकबा 17 बीघा 8 बिस्वा किस्म ढहरी-2 बने। भू-प्रबन्ध अभिलेख सम्वत 2041-60 में खसरा नम्बर 301 रकबा 17 बीघा 8 बिस्वा में से खसरा नम्बर 859/890 रकबा 0.55 है. बने है। उपखण्ड अधिकारी दौसा के आदेश दिनांक 14.11.1970 के अनुसार खसरा नम्बर 301

अति. जिला कलक्टर
दौसा

Scanned with OKEN Scanner

रकबा 17 बीघा 8 बिस्वा किस्म ढहरी–2 में से 2 बीघा 3 बिस्वा भूमि का आवंटन अप्रार्थीगण के पूर्वज गोरधन पुत्र भैरू जाति मीना निवासी खानवास के नाम किया गया। जिसके पश्चात् नामान्तरकरण संख्या 39 दिनांक 15.02.1973 के द्वारा खसरा नम्बर 301/309 रकबा 0.13 बीघा 301/310 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि गोरधन पुत्र भैरू जाति मीना निवासी खानवास के नाम गैर खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड हुई। जमाबन्दी सम्वत 2060–63 ग्राम खानवास के खाता संख्या 21 में उल्लेखित भूमि खसरा नम्बर 859/890 रकबा 0.55 है. किस्म ढहरी में उक्त भूमि जरिये विरासत गोरधन पुत्र भैरू जाति मीना निवासी खानवास के स्थान पर भौरीलाल पुत्र सांवता, दयाराम, महादेव, भागीरथ, नहनु पिता हरचन्दा जाति मीना सा. खानवास हि0ब0 जरिये विरासत नामा. संख्या 171 दिनांक 31.08.2004 द्वारा दर्ज रिकॉर्ड हुई। जिसमे भागीरथ पुत्र चन्दा हिस्सा 1/5 के फौत होने पर जरिये नामान्तरकरण संख्या 238 दिनांक 5.9.2008 के नहना देवी पत्नि स्व. भागीरथा, रामलाल, रूपनारायण, पूनीराम पि. भागीरथा के नाम स्वीकार होकर जमाबन्दी खाता संख्या 78 सम्वत 2071 पर दर्ज रिकॉर्ड हुई। राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत 2076–279 में खाता संख्या 90 ग्राम खानवास जरिये नामान्तरकरण संख्या 529 दिनांक 24.07.2018 के अनुसार खसरा नम्बर 859/890 रकबा 0. 55 है. में दर्ज खातेदार महादेव पुत्र हरचन्दा का हिस्सा 1/5 एवं दयाराम पुत्र हरचन्दा हिस्सा 1/5 नामान्तरकरण संख्या 489 दिनांक 13.07.2017 द्वारा राहिन बैंक ऑफ बडौदा शाखा तूंगा मूर्तहीन व भागीरथा के वारिस नहना देवी धर्मपत्नि स्व. भागीरथा, रामलाल, रूपनारायण, पूनीराम पि. भागीरथा का हिस्सा 1/5 जरिये नामान्तरकरण संख्या 524 दिनांक 08.06.2018 राहिन स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा लवाण मूर्तहीन कौम मीना सा0 खानवास के नाम खातेदारी दर्ज है। राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 16 के तहत गैर मु. नदी, तालाब, नाले की भूमि पर खातेदार अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है। अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज उक्त भूमि पूर्व में गैर मुमकिन नदी दर्ज रिकार्ड रही है। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात से राजकीय अधिवक्ता के कथनों की पुष्टि होती है कि अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज उक्त भूमि पूर्व में गैर मुमकिन नदी दर्ज रिकॉर्ड रही है वर्तमान में अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। ऐसी स्थिति में प्रकरण राजस्व मण्डल को रेफर किया जाना उचित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किया जाता है। विवादग्रस्त आराजी की पूर्व स्थिति कायम किये जाने हेतु रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को पेश करने हेतु मूल पत्रावली तहसीलदार लवाण को भिजवाकर निर्देशित किया जाता है कि राजकीय अधिवक्ता न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर से सम्पर्क कर प्रकरण न्यायालय में दर्ज करवावें एवं प्रकरण में समय पर समुचित पैरवी करना सुनिश्चित करें। पत्रावली तहसीलदार लवाण को भिजवाई जावे व फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

23/2/26

(अरविन्द शर्मा)

अति0 जिला कलक्टर दौसा

निर्णय आज दिनांक 23.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया।

23/2/26

(अरविन्द शर्मा)

अति0 जिला कलक्टर दौसा

Scanned with OKEN Scanner